



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2019/पौष 28, 1940
No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2019/PAUSHA 28, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 36(अ).—निम्नलिखित प्रारूप दलहन श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018, की धारा 3, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) को दिनांक 27 जून, 2018 की अधिसूचना, संख्या सा०का०नि० 597(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, धारा 3, उप धारा(i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त सूचना की प्रतियां जनता को दिनांक जून 29, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त नियमों, के संबंध में जनता से कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की अपेक्षानुसार तथा दलहन श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः-

- संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि उपज (दलहन श्रेणीकरण और चिह्नांकन) नियम 2019 है।
- ये मानव खपत के लिए उपयोग में आने वाली साबुत, छिलके सहित और छिलके रहित की दालों पर लागू होंगे जैसे- उड़द या ब्लैक ग्राम (विग्ना मुंगो एल.हेप्पर), मूंग या ग्रीन ग्राम (विग्ना रेडिएटा एल.विल्कजेक), मसूर या लैंटिल (लेंस क्यूलिनारिस मेडिक), अरहर/तुअर या रेड ग्राम (केजानस काजन एल.मिलिस्प), काबुली चना (साइसर एरीटिनम एल.), चना या बंगाल ग्राम (साइसर एरीटिनस एल.), मटकी या मोठ (विग्ना एकोनिटीफोलिया जैक मेयरछल), मटर (पाइसम सतीवम एल.), राजमा (फेजियोलस वलगेरिस एल.), लोबिया या काउपी (विग्ना अनर्यूकुलाय एल. वाल्प)।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है।

(ख) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ग) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन श्रेणी मानकों और विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दलहन का श्रेणीकरण और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया था,

(घ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं;

3. श्रेणी अभिधान चिह्न :- श्रेणी अभिधान चिह्न में ऐसा “एगमार्क अधिकार चिह्न” होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र की संख्या ‘एगमार्क’ शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-1 वर्णित के सदृश श्रेणी अभिधान से मिलकर बने होंगे।

4. श्रेणी अभिधान :- दलहन की क्वालिटी दर्शाने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो श्रेणी अभिधान के मानदंड के कॉलम से संबंधित अनुसूची 19 की अनुसूची-2 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट हो।

5. पैकिंग करने की पद्धति (1): दलहन को नए, स्वच्छ और शुष्क जूट में, पॉलि थैलों जिनका आंतरिक अस्तर खाद्य ग्रेड सामग्री का हो अथवा पॉली पाउचों में ; खाद्य ग्रेड सामग्री के उच्च सघनता पॉली एथीलीन थैलों अथवा ऐसी किसी दूसरी पैकिंग सामग्री में जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित हों पैक किया जाएगा।

(2) पैकेजिंग सामग्री स्वच्छ, ठोस कीटों और फफूंद के संदूषण से मुक्त होंगे जिससे दलहन की स्वास्थ्यप्रद, पोषक तथा आर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी सुरक्षित रहेंगी।

(3) पैकेजिंग सामग्री सहित आधानों का निर्माण इस तरह के पदार्थों से किया जाएगा जो उनके अभिष्ट उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हों उनसे दलहन में कोई विषैले पदार्थ अथवा अवांछनीय गंध या उत्पाद की सुवास नहीं आएगी।

(4) दलहन को पैक आकारों में विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम 2011 विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 (1 का 2010) अथवा कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी समय-समय पर अनुदेशों के अनुसार पैक किया जाएगा।

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार और समान श्रेणी अभिधान के दलहन अंतर्विष्ट होंगे।

(6) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा।

6. चिह्नांकन की पद्धति : (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन, 1988 (नियम 11) अधिनियम के अन्तर्गत, के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक लेबल या पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः पहचाने जाने योग्य रूप में चिह्नांकित की जाएंगी, अर्थात:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) पैक करने का स्थान;

(ग) लॉट या बैच नंबर;

(घ) पैक करने की तारीख;

(ङ) श्रेणी;

(च) शुद्ध भार;

(छ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);

(ज) मास.....वर्ष.....से पूर्व उपयोग के लिए सर्वोत्तम;

(झ) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता।

(ञ) विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) के अंतर्गत सूचना जो विनिर्दिष्ट की जा सके, अथवा कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार कोई अन्य जानकारी।

(ट) फसल का वर्ष अथवा सीजन (वैकल्पिक), और

(ठ) उद्भव का देश अथवा उपज का उद्भव स्थान अथवा भौगोलिक क्षेत्र (वैकल्पिक)।

- (3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही उत्पाद को संदूषित नहीं करेंगी।
- (4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो।

7. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें:- साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम के उपनियम 3(8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें इन नियमों के प्रयोजन के लिए जारी प्रत्येक प्राधिकार प्रमाण-पत्र की विशेष शर्तें होंगी अर्थात् :-

- (क) प्राधिकृत पैकर दलहन की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी या सहयोजन प्रयोगशाला या प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ सम्पर्क करेगा,
- (ख) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन और अच्छे प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा। इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे,
- (ग) परिसरों में पक्के फर्श वाली पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृतक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगे।
- (घ) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी के द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के अनुसार इस निमित्त समयमय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे। स- सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

अनुसूची-1
(नियम 3 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)



वस्तु का नाम

श्रेणी

अनुसूची-2

(नियम 4 देखें)

उड़द साबुत (ब्लैक ग्राम) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. उड़द साबुत (ब्लैक ग्राम) *विग्रा सुंगों लिंब.हेप्पर*, दलहन के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) उड़द साबुत निम्नप्रकार की होगी,-

- (क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वस्थ तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;
- (ख) आकार, आकृति, रंग में समान;
- (ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त;
- (घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विपैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;
- (च) विपैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो *लिंब*), केस्टर बीन (रिसिनस कम्यूनिस *लिंब*), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, और से मुक्त; और
- (छ) असामान्य स्वाद, फलेवर और गंध से मुक्त।

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006(34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : उड़द साबुत के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सहायता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	शून्य
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	3.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	6.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-3
(नियम 4 देखें)

उड़द(ब्लैक ग्राम) दाल(छिलका रहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. उड़द दाल(छिलका रहित), विग्रा मुंगों लिन.हेप्पर दलहन के सूखे और छिलके रहित बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) उड़द दाल(छिलका रहित) निम्नप्रकार की होगी:-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वस्थ तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) छिलका रहित, दाने, आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर वीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फलेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : उड़द या (ब्लैक ग्राम) छिलका रहित के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डीत खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	शून्य
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	3.0	3.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-4
(नियम 4 देखें)

उड़द(ब्लैक ग्राम) दाल(छिलके सहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. उड़द दाल(छिलके सहित), विग्रा मुंगों लिन.हेप्पर दलहन के सूखे, स्पिलिट और छिलके सहित बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) उड़द दाल (छिलके सहित) निम्नप्रकार की होगी:-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वस्थ तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

- (ख) छिलके सहित, दाने, आकार, आकृति, रंग में समान;
- (ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त
- (घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;
- (च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्यूनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और
- (छ) असामान्य स्वाद, फ्लेवर और गंध से मुक्त
- (ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।
- (iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।
- 3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड :** उड़द या (ब्लैक ग्राम) छिलका सहित के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)				अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डित खाद्यान्न	घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ						
		कार्बनिक	अकार्बनिक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0	शून्य	
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0	
जनरल	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	3.0	3.0	

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-5

(नियम 4 देखें)

मूंग साबुत (ग्रीन ग्राम) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मूंग साबुत (ग्रीन ग्राम) विन्ना रेडियाटा लिन. विल्कजेक के सूखे, और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मूंग साबुत निम्नप्रकार की होगी :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वस्थ तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा

गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद, फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : : मूंग साबूत(ग्रीन ग्राम) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	शून्य
स्टैण्डर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	3.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	6.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-6

(नियम 4 देखें)

मूंग(ग्रीन ग्राम) दाल(छिलका रहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मूंग दाल (छिलका रहित) विद्या रेडियाटा लिन.विल्कजेक के सूखे, खंडित(छिलका रहित) बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मूंग दाल (छिलका रहित) निम्नप्रकार के होंगे :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वस्थ तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) छिलका रहित दाने, आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफुंंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफुंंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद, फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मूंग (ग्रीन ग्राम) दाल (छिलका रहित) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खंडित खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	शून्य
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	1.0	1.0	1.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	2.0	3.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-7

(नियम 4 देखें)

मूंग(ग्रीन ग्राम) दाल(छिलके सहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मूंग दाल (छिलके सहित) विग्रा रेडियाटा लिन.विल्कजेक के सूखे, खंडित छिलके सहित बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मूंग दाल (छिलके सहित) निम्नप्रकार की होगी:-

- (क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;
- (ख) छिलके सहित दाने, आकार, आकृति, रंग में समान;
- (ग) कुंतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त
- (घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;
- (च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और
- (छ) असामान्य स्वाद, फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मूंग (ग्रीन ग्राम) दाल (छिलका सहित) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)	घुण लगा
--------	--	---------

अभिधान	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डीत खाद्यान्न	खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0	शून्य
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	1.0	2.0	1.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	3.0	3.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-8

(नियम 4 देखें)

मसूर (लेंटिल) साबुत का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मसूर (लेंटिल) साबुत लेंस क्यूलिनेरिस मेडिक दलहन के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मसूर साबुत निम्नप्रकार की होगी :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरुथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्यूनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद, फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मसूर (लेंटिल) साबुत के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	शून्य
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.10	0.5	1.0	1.0

जनरल	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0
------	------	------	------	-----	-----	-----

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-9

(नियम 4 देखें)

मसूर (लेंटिल) दाल (छिलकारहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मसूर दाल (छिलकारहित), लेंस क्यूलिनेरिस मेडिक दलहन के सूखे, खंडित छिलके रहित बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मसूर दाल (छिलकारहित) निम्नप्रकार के होंगे :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) छिलकारहित, स्पिलिट, आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कुंतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्पूनिस् लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मसूर (लेंटिल) दाल (छिलकारहित) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डित खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.10	0.10	शून्य
स्टैंडर्ड	12.0	0.20	0.10	0.5	0.50	0.5	1.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	2.0	5.0	2.0	3.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-10

(नियम 4 देखें)

अरहर/तुअर (रेड ग्राम) साबुत का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. अरहर/तुअर साबुत कजानस कजान (लिन) मिलस्प दलहन के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) अरहर/तुअर साबुत निम्नप्रकार की होगी :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर वीन (रिसिनस कम्पूनिस् लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद, फलेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : अरहर/तुअर (रेड ग्राम) साबुत के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.30	0.15	0.5	1.50	3.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-11

(नियम 4 देखें)

अरहर/तुअर (रेड ग्राम) दाल (छिल्लकारहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. अरहर/तुअर दाल (छिल्लकारहित), कजानस कजान (लिन) मिलस्प दलहन के सूखे खंडित छिलके रहित बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) अरहर/तुअर दाल (छिल्लकारहित) निम्नप्रकार के होंगे :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) छिल्लकारहित, स्पिलिट, आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : अरहर/तुअर (रेड ग्राम) दाल (छिल्कारहित) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डित खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.20	0.10	0.2	1.5	2.0	2.0
जनरल	14.0	0.75	0.25	0.5	5.0	5.0	3.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से छ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-12

(नियम 4 देखें)

काबुली चना का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. काबुली चना *साइसर एरीटिनम लिन.* का सूखा और परिपक्व बीज होगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) काबुली चना निम्नप्रकार का होगा :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकारक बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : काबुली चना के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सहाता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डीत खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.10	0.10	0.5	1.0	3.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-13

(नियम 4 देखें)

चना साबुत (बंगाल ग्राम) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. चना साबुत साइसर एरीटिनम लिन. का सूखा और परिपक्व बीज होगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) चना साबुत निम्नप्रकार का होगा :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकारक बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ

और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : चना साबुत (बंगाल ग्राम) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.10	0.10	0.5	1.0	3.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-14

(नियम 4 देखें)

चना (बंगाल ग्राम) दाल (छिल्ले रहित)/दाल चना का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. चना दाल (छिल्ले रहित) साइसर एरीटिनम लिन. चने के सूखे और परिपक्व बीज से प्राप्त किया जाएगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) चना दाल (छिल्ले रहित) निम्नप्रकार के होंगे :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) छिल्ले रहित दाने, आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया,

फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : चना (बंगाल ग्राम) दाल (छिलके रहित)/दाल चना के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डित खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.10	0.15	0.5	1.0	2.0	2.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	2.0	5.0	3.0	3.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-15

(नियम 4 देखें)

मटकी/मोठ (साबुत) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मटकी/मोठ (साबुत) बिगना एकोनिटिफोलिया जैकक मरेचल दलहन के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मटकी/मोठ (साबुत) निम्नप्रकार का होगा :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्प्युनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मटकी/मोठ (साबुत) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	1.0	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.20	0.10	0.5	2.0	3.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-16

(नियम 4 देखें)

मटकी/मोठ स्पिलिट (छिलके रहित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मटकी/मोठ स्पिलिट (छिलके रहित) विग्ना एकोनिटिफोलिया जैक मरेचल दलहन के सूखे और परिपक्व बीजों से प्राप्त की जाएगी।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मटकी/मोठ स्पिलिट (छिलके रहित) निम्नप्रकार की होगी :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) छिलके रहित, स्पिलिट, आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्यूनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मटकी/मोठ स्पिलिट (छिलके रहित) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डीत खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	2.0	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.20	0.10	0.5	1.0	3.0	2.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-17

(नियम 4 देखें)

मटर (साबुत) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. मटर (साबुत) पाइसम सेटिवम लिन. के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) मटर (साबुत) निम्नप्रकार का होगा :—

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेममा गिथेगो लिन), केस्टर वीन (रिसिनस कम्पूनिनस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फलेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : मटर (साबुत) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)						घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	टूटे हुए और खण्डीत खाद्यान्न		
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	शून्य	

स्टैण्डर्ड	12.0	0.10	0.10	1.0	2.0	1.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-18

(नियम 4 देखें)

राजमा का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. राजमा *फेजियोलस वलगेरिस लिन.* के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) राजमा निम्नप्रकार की होगी :—

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकर बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्यूनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फ्लेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : राजमा के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सह्यता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न (गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	शून्य
स्टैण्डर्ड	12.0	0.10	0.10	0.5	2.0	1.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-19

(नियम 4 देखें)

लोबिया (काउ पी) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. लोबिया *विगना अनरयुक्युलाटा* लिन. वाल्य के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) लोबिया निम्नप्रकार की होगी :-

(क) मिठासयुक्त, ठोस, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद तथा हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(ख) आकार, आकृति, रंग में समान;

(ग) कृतक बालों और विष्ठा, फफूंदी, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, हानिकारक बैक्टेरिया, फफूंदी संदूषक, कवक वृद्धि, मकड़ी के जालों, परजीवियों, लारवा और बरूथी से मुक्त

(घ) दुर्गंध, बदरंगता और अन्य सभी अपमिश्रणों से मुक्त, सिवाय उस सीमा तक जितना इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) मिलाई गई रंग सामग्री, विषैले पदार्थों और हानिकारक पदार्थों के अधिमिश्रण से मुक्त;

(च) विषैले और हानिकारक बीजों जैसे-क्रोटालारिया (क्रोटालारिया प्रजाति), कॉर्न कोकल (एग्रोस्टेम्मा गिथेगो लिन), केस्टर बीन (रिसिनस कम्यूनिस लिन), जिमसन खरपतवार (धतूरा स्ट्रेमोनियम) और अन्य बीजों, जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, से मुक्त; और

(छ) असामान्य स्वाद फलेवर और गंध से मुक्त

(ii) इसमें धात्विक संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों, नाशी जीव दवाओं के अवशेषों, सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के लिए निर्धारित सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्यक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 का 2006) का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) इसमें भारी धातुओं, कीटनाशकों से संबंधित अवशेषी सीमाओं का तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा-निर्धारित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3 श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड : लोबिया (काउ पी) के श्रेणी अधिमान के मापदण्ड निम्नलिखित होंगे।

श्रेणी अभिधान	सहायता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)					घुण लगा खाद्यान्न(गिनती द्वारा प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न	
		कार्बनिक	अकार्बनिक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
स्टैंडर्ड	12.0	0.10	0.10	0.5	2.0	2.0
जनरल	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

टिप्पण :- विजातीय पदार्थ में, जीव-जन्तुओं से उत्पन्न अशुद्धता, भार के हिसाब से 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, लेकिन विजातीय पदार्थों, अन्य खाद्यान्नों की कुल मात्रा भार के हिसाब से बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :

(1) ' विजातीय पदार्थ' से तात्पर्य खाद्यान्न से भिन्न ऐसा कोई बाह्य पदार्थ जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं "अकार्बनिक पदार्थ" इसमें धात्विक टुकड़े, धूल,रेत, पत्थर, मिट्टी, कंकड़, मिट्टी की ढेलियां, चिकनी मिट्टी और पशुओं की गंदगी इत्यादि शामिल है।

"कार्बनिक पदार्थ" में छिलके, भूसा, खरपतवार और अन्य अखाद्य दाने शामिल हैं।

(2) "अन्य खाद्य दानों" से तात्पर्य, विचाराधीन दानों के अलावा अन्य खाद्य दाने (तिलहन सहित) हैं।

- (3) "क्षतिग्रस्त दानों" से तात्पर्य स्फुटित अथवा ताप सुक्ष्माणु, नमी अथवा मौसम की वजह से आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त दाने तथा साबुत दलहन के मामले में यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त दाने शामिल हैं।
- (4) "टूटे हुए और टुकड़े" में पूर्ण के दानों के तीन चौथाई से कम आकार के टुकड़े शामिल हैं।
- (5) "घुने हुए दाने" घुने हुए दानों में वे दाने आते हैं जो आंशिक तौर पर अथवा पूर्णतः ऐसे कीड़ों से खाए हुए हैं जो खाद्यान्न के लिए हानिकारक हैं परंतु इसमें जीवाणु लगे और दागी दाने शामिल नहीं हैं।

[फा.सं. क्यू-11014/01/2012/मानक]

प्रसान्त कुमार स्वर्दी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2019

G.S.R. 36(E).—Whereas, the draft of the Pulses Grading and Marking Rules, 2018 was published as required by section 3 of the Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i) vide notification number G.S.R. 597(E), dated the 27th June, 2018 for inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby within forty five days from the date on which copies of the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said notification were made available to the public on 29th June, 2018;

And, whereas, no objections or suggestions have been received from the public in respects of the said rules;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the Pulses Grading and Marking Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, application and commencement.— (1) These rules may be called the Agricultural Produce (Pulses Grading and Marking) Rules, 2019.

(2) They shall apply to whole, with husk and without husk form of pulses- Urd or Black gram (*Vigna mungo Linn. Hepper*), Moong or Green gram (*Vigna radiata Linn. Wilczek*), Masoor or Lentil (*Lens culinaris Medik*), Arhar or Tur /Red gram (*Cajanus cajan Linn. Millsp*), Kabuli chana (*Cicer arietinum Linn.*), Chana /Bengal gram (*Cicer arietinum Linn.*), Matki / Moth (*Vigna aconitifolia Jacq Marechal*), Peas (*Pisum sativum Linn.*), Rajma (*Phaseolus vulgaris Linn.*), Lobia or Cowpea (*Vigna unguiculata Linn. Walp*) intended for human consumption.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) " Act" means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1of 1937) ;
- (b) " Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
- (c) "Authorised packer" means a person or a body of persons who had been granted a certificate of authorisation to grade and mark the Pulses in accordance with the grade standards and procedure specified under these rules;
- (d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Act and the rules.

- 3. Grade designation mark.**— The grade designation mark shall consist of “AGMARK insignia” consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as specified in Schedule-I.
- 4. Grade designations.**— The grade designations to indicate the quality of Pulses shall be as specified in Schedule-II to Schedule-XIX relating to column of criteria for grade designation.
- 5. Method of packing.**— (1) Pulses shall be packed in new, clean and dry containers made of jute or cloth, poly woven bags with inner lining of food grade material or poly pouches, high density poly ethylene bags of food grade material or any other packing material as approved by the Agricultural Marketing Adviser.
- (2) The packing material shall be clean, sound, free from insect, fungal infestation which shall safeguard the hygienic, nutritional and organoleptic qualities of the Pulses.
 - (3) The containers, including packaging material, shall be made of such substances which are safe and suitable for their intended use and they shall not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to pulses.
 - (4) Pulses shall be packed in pack sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and in accordance with the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.
 - (5) Each package shall contain pulses of the same type and of the same grade designation.
 - (6) Each package shall be properly and securely closed and sealed.
- 6. Method of marking.**— (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the provision of rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988 made under the Act.
- (2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label or package, namely :-
- (a) Name of the commodity;
 - (b) Place of packing;
 - (c) Lot or batch number;
 - (d) Date of packing;
 - (e) Grade;
 - (f) Net weight;
 - (g) Maximum Retail Price (inclusive of all taxes);
 - (h) Best before.....date.....month.....year;
 - (i) Name and address of the authorised packer;
 - (j) any other information specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him;
 - (k) Crop year or season (optional); and
 - (l) Country of origin or Origin of produce or Geographical region (optional).
- (3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the product.
- (4) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with the provisions of these rules.
- 7. Special conditions of certificate of authorisation.**— In addition to the conditions specified under the sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the special conditions for every certificate of authorization issued for the purpose of these rules, namely:-
- (a) the authorised packer shall either set up his own laboratory as per the specified norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of pulses;

-
- (b) the premises shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in good health and free from any infectious, contagious or communicable diseases;
 - (c) the premises shall have adequate storage facilities with clean and proper pucca flooring and free from rodent and insect infestation; and
 - (d) the authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this regard from time to time.

SCHEDULE-I
(See rule 3)
(Design of Agmark insignia)



Name of Commodity.....
Grade.....

SCHEDULE-II

(see rule 4)

Grade designation and quality of Urd whole (Black gram)

1. Urd whole (Black gram) shall be dried and mature seeds of pulse *Vigna mungo* Linn. Hepper.
2. Minimum requirements :
 - (i) Urd whole shall be,-
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (a) uniform in size, shape and colour;
 - (b) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasites, larvae and mites;
 - (c) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as specified in this schedule;
 - (d) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (e) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Argrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (f) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - (iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Urd whole (Black gram) shall be as under -

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	3.0
General	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	6.0

Note .- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed nine percent by weight.

SCHEDULE-III

(see rule 4)

Grade designation and quality of Urd or (Black gram) split (without husk)

1. Urd split (without husk) shall be dried split seeds of pulse *Vigna mungo* Linn. Hepper.
2. Minimum requirements:
 - (i) Urd split (without husk) shall be,-

- (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
- (b) without husk, split, uniform in size, shape and colour;
- (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
- (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
- (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
- (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus Communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
- (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.—The criteria for grade designation for Urd or (Black gram) split (without husk) shall be as under—

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)					Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains		Broken and fragments grains
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	3.0	3.0

Note:— In foreign matter the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed eight percent by weight.

SCHEDULE-IV

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Urd or (Black gram) split (with husk)**

1. Urd split (with husk) shall be dried split with husk seeds of pulse *Vigna mungo* Linn. Hepper.
2. Minimum requirements:
 - (i) Urd split (with husk) shall be -
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) with husk, split, uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and

(g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Urd or (Black gram) split (with husk) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)						Weevilled grains (percent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign Matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and fragments grains	
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	2.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	3.0	3.0

Note:- In foreign matter the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed eight percent by weight.

SCHEDULE-V

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Moong whole (Green gram)**

1. Moong whole (Green gram) shall be dried and mature seeds of pulse *Vigna radiata* Linn. Wilczek.
2. Minimum requirements:
 - (i) Moong whole shall be -
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognised as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue)

Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Moong whole (Green gram) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	2.0	3.0
General	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	6.0

Note:- In foreign matter the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed nine percent by weight.

SCHEDULE-VI

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Moong (Green gram) split (without husk)**

1. Moong split (without husk) shall be dried split seeds of pulse *Vigna radiata* Linn. *Wilczek*.
2. Minimum requirements:
 - (i) Moong split (without husk) shall be -
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) without husk, split, uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognised as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - (iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.-The criteria for grade designation (Green gram) split (without husk) shall be as under-

Grade	Maximum limit of tolerance (percent by weight)	Weevilled
-------	--	-----------

designation	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and fragments grains	grains (percent by count) (Maximum)
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	1.0	1.0	1.0
General	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	2.0	3.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed eight percent by weight.

SCHEDULE-VII

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Moong (Green gram) split (with husk)**

1. Moong split (with husk) shall be dried split seeds of pulse *Vigna radiata* Linn. Wilczek.
2. Minimum requirements:
 - (i) Moong split (with husk) shall be -
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) with husk, split, uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for Moong (Green gram) split (with husk) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)						Weevilled grains (percent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and fragments grains	
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	1.0	2.0	1.0
General	14.0	0.75	0.25	4.0	5.0	3.0	3.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed eight percent by weight.

SCHEDULE-VIII

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Masoor (Lentil) whole**

1. Masoor (Lentil) whole shall be dried and mature seeds of pulse *Lens culinaris Medik.*
2. Minimum requirements:
 - (i) Masoor whole shall be.-
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria (Crotalaria spp.)*, Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Masoor (Lentil) whole shall be as under -

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	Absent
Standard	12.0	0.30	0.10	0.5	1.0	1.0
General	14.0	0.75	0.25	3.0	5.0	6.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed eight percent by weight.

SCHEDULE-IX

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Masoor (Lentil) split (without husk)**

1. Masoor split (without husk) shall be dried split seeds of pulse *Lens culinaris Medik.*
2. Minimum requirements:
 - (i) Masoor split (without husk) shall be -
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) without husk, split, uniform in size, shape and colour;

- (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
- (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
- (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
- (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health;
- (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3 Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Masoor (Lentil) split (without husk) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)						Weevilled grains (percent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and fragments grains	
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.10	0.10	Absent
Standard	12.0	0.20	0.10	0.5	0.50	0.5	1.0
General	14.0	0.75	0.25	2.0	5.0	2.0	3.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed seven percent by weight.

SCHEDULE-X

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Arhar or Tur (Red gram) whole**

1. Arhar/Tur whole shall be dried and mature seeds of pulse *Cajanus cajan* (Linn.) Millsp
2. Minimum requirements:
 - (i) Arhar/Tur whole shall be.-
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residues, microbial requirements and other food

safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Arhar or Tur (Red gram) whole shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
Standard	12.0	0.30	0.15	0.5	1.50	3.0
General	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed twelve percent by weight.

SCHEDULE-XI

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Arhar or Tur (Red gram) split (without husk)**

1. Arhar/Tur split (without husk) shall be dried split seeds of pulse *Cajanus cajan* (Linn.) Millsp.

2. Minimum requirements:

(i) Arhar or Tur split (without husk) shall be-

- sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
- without husk, split, uniform in size, shape and colour;
- free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
- free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
- free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
- free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
- free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residues, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

2. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Arhar or Tur (Red gram) split (without husk) shall be as under –

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)					Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains		Broken and fragments grains
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	1.0
Standard	12.0	0.20	0.10	0.2	1.5	2.0	2.0
General	14.0	0.75	0.25	0.5	5.0	5.0	3.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed six percent by weight.

SCHEDULE-XII

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Kabuli chana**

1. Kabuli chana shall be dried and mature grains of gram *Cicer arietinum* Linn.
2. Minimum requirements:
 - (i) Kabuli chana shall be.-
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, Insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - (iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.
3. **Criteria for grade designation.-** The criteria for grade designation for the Kabuli chana shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)					Weevilled grains (percent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
Standard	12.0	0.10	0.10	0.5	1.0	3.0
General	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed nine percent by weight.

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Chana whole (Bengal gram)**

1. Chana whole shall be dried and mature grains of gram *Cicer arietinum* Linn.
2. Minimum requirements:
 - (i) Chana whole shall be.-
 - (a) sweet, sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances ;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria (Crotalaria spp.)*, Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - (iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Chana whole (Bengal gram) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
Standard	12.0	0.10	0.10	0.5	1.0	3.0
General	16.0	0.75	0.25	4.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed nine percent by weight.

SCHEDULE-XIV

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Chana (Bengal gram) split (without husk) or chana Dal**

1. Chana split (without husk) shall be obtained from dried and mature grains of gram *Cicer arietinum* Linn.
2. Minimum requirements:
 - (i) Chana split (without husk) shall be -
 - (a) sweet sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) without husk, split, uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasites, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;

- (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
- (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
- (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Chana (Bengal gram) split (without husk) or Chana Dal shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)						Weevilled grains (percent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	Broken and fragments grains	
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	0.5	1.0
Standard	12.0	0.10	0.15	0.5	1.0	2.0	2.0
General	16.0	0.75	0.25	2.0	5.0	3.0	3.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed seven percent by weight.

SCHEDULE-XV

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Matki or Moth (Whole)**

1. Matki / Moth (whole) shall be dried and mature seeds of pulse *Vigna aconitifolia* *Jacq Marechal*.
2. Minimum requirements:
 - (i) Matki / Moth (whole) shall be.-
 - (a) sweet sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue)

Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Matki or Moth (whole) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	1.0	1.0
Standard	12.0	0.20	0.10	0.5	2.0	3.0
General	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed twelve percent by weight.

SCHEDULE-XVI

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Matki or Moth split (without husk)**

1. Matki / Moth split (without husk) shall be obtained from dried and mature seeds of pulse *Vigna aconitifolia* Jacq Marechal.

2.. Minimum requirements:

- (i) Matki or Moth split (without husk) shall be-
 - (a) sweet sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) without husk, split, uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Matki or Moth split (without husk) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)					Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains		Broken and fragments grains
		Organic	Inorganic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	2.0	1.0
Standard	12.0	0.20	0.10	0.5	1.0	3.0	2.0
General	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed twelve percent by weight.

SCHEDULE-XVII

(see rule 4)

Grade designation and quality of Peas (whole)

- Peas (whole) shall be dried and mature seeds of *Pisum sativum Linn.*
- Minimum requirements:
 - Peas (whole) shall be.-
 - sweet sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - uniform in size, shape and colour;
 - free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria (Crotalaria spp.)*, Corn cockle (*Agrostemma githago Linn.*), Castor bean (*Ricinus communis Linn.*), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - free from abnormal taste, flavour and odour.
 - It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Peas (whole) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	Absent
Standard	12.0	0.10	0.10	1.0	2.0	1.0

General	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0
---------	------	------	------	-----	-----	------

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed twelve percent by weight.

SCHEDULE-XVIII

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Rajma**

1. Rajma shall be dried and mature seeds of *Phaseolus vulgaris* Linn.
2. Minimum requirements:
 - (i) Rajma shall be.-
 - (a) sweet sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;
 - (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
 - (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
 - (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria* spp.), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
 - (g) free from abnormal taste, flavour and odour.
 - (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
 - (iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Rajma shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)				Weevilled grains (percent by count) (Maximum)	
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains		Damaged grains
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	Absent
Standard	12.0	0.10	0.10	0.5	2.0	1.0
General	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed twelve percent by weight.

SCHEDULE-XIX

(see rule 4)

Grade designation and quality of **Lobia (Cowpea)**

1. Lobia shall be dried and mature seeds of *Vigna unguiculata* Linn. Walp.
2. Minimum requirements:
 - (i) Lobia shall be.-
 - (a) sweet sound, clean, wholesome and free from admixture of unwholesome substances;
 - (b) uniform in size, shape and colour;
 - (c) free from rodent hair and excreta, moulds, living and dead insects, insect fragments, harmful bacteria, fungal infestation, mould growth, webs, parasite, larvae and mites;

- (d) free from obnoxious smell, discolouration and all other impurities except to the extent as indicated in this schedule;
- (e) free from added colouring matter, admixture of deleterious substances;
- (f) free from toxic or noxious seeds such as *Crotalaria* (*Crotalaria spp.*), Corn cockle (*Agrostemma githago* Linn.), Castor bean (*Ricinus communis* Linn.), Jimson weed (*Datura stramonium*), and other seeds that are commonly recognized as harmful to health; and
- (g) free from abnormal taste, flavour and odour.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residue, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residue) Regulation, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation.- The criteria for grade designation for the Lobia (cowpea) shall be as under-

Grade designation	Maximum limit of tolerance (percent by weight)					Weevilled grains (percent by count) (Maximum)
	Moisture	Foreign matter		Other edible grains	Damaged grains	
		Organic	Inorganic			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	11.0	0.10	0.05	0.2	0.5	1.0
Standard	12.0	0.10	0.10	0.5	2.0	2.0
General	16.0	0.75	0.25	6.0	5.0	10.0

Note:- In foreign matter, the impurities of animal origin shall not be more than 0.10 percent by weight provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed twelve percent by weight.

Explanations:

- (1) "Foreign matter" includes inorganic and organic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, glass and metallic pieces, lumps of earth, clay and mud. Organic matter shall include husk, chaff, straw, weed seeds, fragments, bran and other inedible grains. Paddy shall be considered as foreign matter in commodities other than paddy.
- (2) "Other Edible Grains" means any edible grains (including oil seeds) other than the one which is under consideration;
- (3) "Damaged Grains Kernels" are pieces of kernels that are sprouted or internally damaged as a result of heat, moisture, weather or microbes.
- (4) "Broken and Fragments" are pieces of sound kernels that are less than three-fourth of the size of the full kernels. In case of dals, pieces that are less than the size of three-fourths of the split pulses shall be considered as broken.
- (5) "Weevilled Grains" are grain kernels that are partially or wholly bored by insects injurious to grain but do not include germ-eaten grains and egg-spotted grains.

[F. No. Q-11014/01/2012/Std.]
P.K. SWAIN, Jt. Secy.